

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 263

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भाषा के 206 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा0शि0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती निधि सिंह	शिवेन्द्र सिंह तोमर	27-09-1995	घाई ग0 5 सरकारी अस्पताल परिसर, सितारगंज ऊधम सिंह नगर-262405	EWS-5	EWS ENG15	प्रा0शि0 गौरीखेड़ा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 5738-48

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एरा0सी0ई0ओ0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल नियामक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (घ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (ङ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 265

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती सुमीता हसन	समीर	11/8/1995	566 किला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार-247858	EWS-5	EWS ZBC40	रा0प्रा0वि0 पड़ावगौर, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विपरीय डिप्लोमा (डी०ए०डो) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर कर्जी पाये जाने पर अध्या कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 5760-70

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निर्देशक ए०सी०टी०ई०/आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मध्यम श्रेणी अपर निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्रभार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नत सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) उत्तमस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०श०
उन्नत सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 266

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती निशा चौहान	दिप्यारु चौहान	10/4/1997	ग्राम-मडुकाखेला पो0 व तह0 जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	EWS-5	EWS 2BC40	रा0प्रा0कि गदरपुर प्रथम, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/5771-81

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित बोधाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (ध) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 267

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8001 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लाम्म 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुकेश सिंह नेगी	भीम सिंह नेगी	27-10-1997	ग्राम-उड़गल, पो0ओ0-बन्वालीपोखर, अल्मोड़ा-263621	GEN-1	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 दलीप नगर, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पूरा सं0 / 5782-92

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

ऊधम सिंह

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं-268

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अहोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक पाण्डेय	हेम चन्द पाण्डेय	17-07-1991	ठाडाडुंगा बार्ड, पोस्ट ऑफिस-लोहाघाट, धाना-लोहाघाट, चम्पावत-262524	GEN-1	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 बेलखेड़ा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देव नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विषर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिनता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/579345803 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (निम्न संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रो.शि.0-दो(2)/786-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय के पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (साक्षात्कृत भर्ती की 268 एवं बैकलॉग की 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुसूचनापरान्त उनके नामों के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रो.शि.0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धित नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रांक का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती अंजली कर्वाण	नितेश देव	20-08-1999	श्री अजयिका फोर्जो जहाँ, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	GEN-1	GEN PMAO	प्रो.शि.0 संजयनगर प्रथम, मण्डपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रो.शि.0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग ध्वय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरश कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो.शि.0
ऊधम सिंह नगर

पू.सं.0 / 5804-14

प्रो.शि.0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उत्तराखण्ड

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एर.सी.ई.ओ.आर.टी.ओ. उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रो.शि.0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में विभिन्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से गरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) एम्सस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघाम सेनानी अभित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलते जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 271

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 07 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर केतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम को सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चयन रावत	हरक सिंह रावत	23-08-1990	नियर रागर स्टडी हॉल, कुम्हेश्वरी, पनरीपुर, धाना-काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0शि0 महेशपुरा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय किन्डोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योछता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरक सिंह कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुसस/ 5826-36

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
 3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
 4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
 6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 8. विल अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदखण्ड सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विद्यालयखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षणअधिकारी/मुख्य शिक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से खरिज प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संधान सेवानी अक्षित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलताये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस्ओएस्ओ/2024, 1483/एस्ओएस्ओ/2024, 1484/एस्ओएस्ओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०श०
खण्ड सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 272

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिधीणाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीक्षा चौहान	नरेश कुमार	6/9/1996	श्री0 गुजरातिया, लक्ष्मीनगर कालोनी, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0वि0 महेशपुर, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/5837-47

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तावत

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदजाम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जाम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमवली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सागान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्जावार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कपिल कुमार	भूषण कुमार चौहान	1/7/1985	सरस्वतीपुरम, मियाबाला, पोस्ट- तुनवाला, थाना डोईबाला, देहरादून-248005	GEN-1	GEN OTSCI20	रा0प्रा0कि स्तनपुरा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नबनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का नार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञेयता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरसू कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/5848-58

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रती।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत स्थाप पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में द्योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुनाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राणधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहरताकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अगम्यित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से शिक्षा पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चाधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती अंशु सिंह सेलेनी	कमलेश सिंह	19-10-1967	सरस्वती निवास, प्रगतिशील कालोनी, भगवानपुर, तल्सा, हल्द्वानी, नैनीताल	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0शि0 बैगुल कालोनी, शितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डीएड) किन्तु इस प्रकार कहा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य टिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) सुनील मिश्रा

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पुसं0/5859-69

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से वरिष्ठ प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.06.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राध्यापकों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में ज्योहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य स्तरी के 298 एवं वैकल्पिक के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के संपेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपत्रांत उनके नाम के सम्मुख स्तर 8 में अंकित ए०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वीमती नीलम छाती	राजेश छाती	1/12/1990	न्यू सेरा फाट कालोनी, पिथौरागढ़	GEN-1	GEN PM40	ए०प्रा०शि० मण्डला, शिवारंज।

शासनादेश सं० 1393/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्ता निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कहा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में दिन्तता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञोषता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

फु०सं०/5870-80

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. दित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का सपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 उज्जैन सिंह नगर

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अपोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लाम्म 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रज्ञा पाण्डेय	राकेश चन्द पाण्डेय	4/4/1996	कार्की फार्म, आम-बाग, टनकपुर, धम्पावत	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0विद्या. सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विचर्रीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक प्रोष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं०/ 5881-91

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उच्चम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उच्चम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (शांमन्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8601 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित स0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थादी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिपेश कुमार पन्त	रमेश चन्द	1/4/1992	जवाहर ज्योति, देवरखडी, दनुआदुंग, फाठगोदाम, नैनीताल-263126	GEN-1	GEN ENG15	स0प्रा0शि0 पन्डरी, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग ध्वज देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थादी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार जका। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में दिन्ता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी या अभ्यर्थीन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुसं0/ 5903-13 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

ऊधम सिंह नगर

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य विधिवत्साधिकारी/मुख्य विधिवत्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुगोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	अवर्तित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नयक जोशी	भुवन चन्द जोशी	5/12/1990	घाट नं० -6 निकट श्रद्धा स्वीट हाउस, टनकपुर (धर्मपुर)-262309	GEN-1	GEN ENGL15	रा०प्रा०शि० मञ्जोला, खटीमा।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग ध्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके अवर्तित विद्यालय में 16 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरिन्दर कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/5914-24

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्तमवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एरा०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रामाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो० रि०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 280

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहरतासरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सागान्य भर्ती के 208 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पथ	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	अंजुम खान	मो0 इस्लाम खान	9/2/1994	सोमनाथ भवन, शानीखेत रोड, सोनेश्वर	GEN-1	GEN ENG15	रा0प्रा0शि0 सिवैली कला, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई लघु छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योक्ता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/5925-35

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं-.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की वो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- रथाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संधाम सेनानी आभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 281

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य नर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीन चन्द जोशी	पीताम्बर दत्त जोशी	22-06-1992	ग्राम-बनपुरी, बनवसा, चम्पावत-262310	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0विद्यालय उल्हन, खटौमा।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिनता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विलुप्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरमन् कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 5936-46

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राध्याप, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1461/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 282

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 208035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3716-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहाताकारी कार्यालय के पत्रांक 58 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 206 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-26 में नियुक्ति हेतु विद्यार्थियों के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8001 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विद्यार्थियों के साथै निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से शिक्षा पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	शिक्षा/पढ़ी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शशिनी शीतल	अनुसूचित	17-10-1997	घाट नं0 4, मोदस्ता जुलाहन, जसपुर धाना जसपुर ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0शि0 बाजपुर द्वितीय, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विपरीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 नहीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पाररपरिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुस्तक/ 5947-57

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं अपरपत्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्रचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. जिला अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 283

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-02 सितम्बर, 2024


नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोस्तोताकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य नर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 6801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लम 8 में अंकित श0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राक्षर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पवन कुमार भट्ट	गंगा दत्त भट्ट	18-06-1990	ग्राम-नगारी गौव भवाली, धाना-भवाली, नैनीताल-203132	GEN-1	GEN OTART70	श0प्रा0शि0 रम्पुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिनता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 5953-68

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रचना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीनस्थ द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) निम्नलिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 284

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अग्रेहरतावारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दीपिका जड़ौत	वृषाल सिंह	31-10-1992	ए-45, शारदा कालोनी, निकट शोबी कान्टीनेन्टल, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर-263153	GEN-1	GEN OTSCI20	रा0प्रा0शि0 किरा अकबर, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विदशम शिप्टोमा (डी०ए०डो) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञोष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 5969-79

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) प्रसमस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 285

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 88 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	श्रीमती अनामिका त्वागी	राहुल त्वागी	8/7/1997	राहुल त्वागी, बाण्डावाली किसानपुरी, प्रा0 रा0 पो0-सहस्रधारा, देहरादून	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0कि मर्दईपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरन्दे कुम्वर निश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0सं0/5980-90

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निर्देशक एस्0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित बोधायिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

कमरा:

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 286

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नोकुल चन्द उपर्याय	हरगोविन्द उपर्याय	4/5/1995	राज्यीय नगर प्रथम, कनरोड, बिन्दुखत्ता, पो0-तालकुआँ, थाना-तालकुआँ 262402	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0विद्यालय नगला, रुदपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरजीत कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0श0/5991-6000

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. जिला अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

ऊधम सिंह नगर

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में खोजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 287

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राक्षर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिनेश कुमार	भूपन कुमार चौहान	1/7/1988	सरस्तीपुरम, मियावाला, पोस्ट- तुनवाला, थाना डोईवाला, देहरादून-248005	GEN-1	GEN OTSCI20	रा0प्रा0कि गुलकिया, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (टी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6001-11

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन0सी0टी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

ऊधम सिंह

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) सम्स्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 288

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अगोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदीप चन्द कुजारी	दिनेश चन्द कुजारी	28-10-1997	घान-रत्ना, पी0 गवाड, राह0 इराहाट, अल्मोडा-263653	EWS-5	GEN PM40	रा0प्रा0कि पण्डरी, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। मवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योडता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरमन्द कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुस्तक/ 6012-22

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. अपर निदेशक एरा0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
 3. मध्यम अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
 4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
 6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों की साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्सकाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से वरिष्ठ प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 289

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशीष टोशिल	देवेन्द्र कुमार	20-11-1993	डी0ओल्ड-14 सुगर कैंजरी, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर-262401	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0शि0 महेयाहट्ट, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर सम्पत्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन्.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरदीप कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 6023-33

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन्0सी0टी0ई0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित बोधायिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल नियास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicsnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 290

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉगिंग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित सा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचरिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शिकारी सिंह	प्रदीप गुप्ता	26.07.1992	वार्ड नं०-10, निकट हरश्रीनाथ मंदिर बलवत कालोनी, किष्वा, ऊधम सिंह नगर-263148	GEN-1	GEN ZBC40	सा०प्रा०वि० वार्ड नं० 2 किष्वा, रुद्रपुर।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्षों के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सात्यापन में विन्मता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पु०सं०/ 6034-44

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

रूपरा.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल नियुक्त प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 291

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 3 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांशु जोशी	धानदेव जोशी	2/2/1990	ग्राम-गुजरौडा, जयपुर, पाठली, नियर चारघाम मंदिर फतेहपुर, हल्द्वानी नैनीताल-283139	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 ठाकुर सिंह की सरकड़ी, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई लघु छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 6045-55
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उच्चम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रायली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रायली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) पुरख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उच्चम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 292

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अभिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सागान्य भर्ती के 260 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	किरण नायक	पूरन सिंह नायक	2/5/1992	घाट न011, ओक बुड स्कूल के सामने पहाड़ी कालोनी बाजपुर।	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 इगडपुरी, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई लथय छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योक्षता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6056-66

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगपद उज्ज्वल सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (क) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल विद्यास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि/मूलपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1463/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्ष0
 उज्ज्वल सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 293

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (संयम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.08.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अयोधस्तासरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8901 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 0671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्बुद्ध स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विभव	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय सुवाल	शेखर चन्द सुवाल	25-09-1994	प्रा0-मुनेलाखेत, रावीखेत, पो0-उपराड़ी, जिला-अल्मोड़ा-263645	GEN-1	GEN ENG15	रा0प्रा0सि0 सन्वारी बस्ती, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योक्षता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/667-77

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन0सी0टी0ई0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विल अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं. _____

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षित्साधिकारी/मुख्य शिक्षित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 म्ह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- ११५

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- ०३ सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अयोध्यास्थरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 6801 दिनांक 01.06.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.06.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	प्रयुक्ति श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंचम बिष्ट	जगत सिंह बिष्ट	6/3/1991	ग्राम व पोस्ट-ओखलकाण्ड मल्ला, थाना-खनस्वै, जनपद-नैनीताल	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0वि0 कोहरी, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में घयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का नार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इत प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। घयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञोडता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरिन्दर कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 6078-88
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आशरवक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25दिनांक-उक्तपत्र

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप विभा अधिकारी उपरोक्त आन विड बना को इस आदेश में उचित ही सम्बन्धित अगल्लों को सैकिक न अन्य प्रमाण पढी का विधान उपकी पुन अधिलेखी से कलने हुन सम्बन्धित की दो परसपली तैयार करती तथा सैकिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सम्पादन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को उचित करे। अगल्लों से कलने एवं कलना अधिलेख उपकी परसपली में सुनिश्चित प्रमाण सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अगल्लों को इस आदेश में उचित ही परसपलीत विधानमें नै करीयत प्रदान करने की पुर्ण सम्बन्धित विधानसम्बन्ध के उप विभा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिको प्रतियों में निम्न अधिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उपकी अनुमति के उपरान्त विधानमें करीयत प्रदान करे।
 - 200 पुन विधिकार्याधिकारी/पुन विधिकार्या अधिकार द्वारा निर्गत स्वसथा प्रमाण पत्र।
 - 200 अगल्लों दो परसपलीत अधिकारीको से परित्र प्रमाण पत्र जो 20 मर से पुर्ण का न हो।
 - सुसथा सैकिक, प्रमाण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जिसे- स्याई/पुन विधान प्रमाण पत्र, जालि प्रमाण पत्र, जालिक रूप से सम्पन्न, विधानगत प्रमाण पत्र/स्यथागत संघान सेवारी अधिकार/पुनपुर्ण सैकिक जालि जो जम्न हो) की विधानगत परित प्रमाणपत्रित प्रति।
 - प्रतिबन्धित होने की स्थिति में एक ही जाली/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र तथा अधिलेखित होने का घोषण पत्र।
 - 200 सारणीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किले जाने तथा किसी प्रकार का अधिलेखन न कलने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - 200 किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का प्रमाण पत्र/सारणीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा सौम्य प्रमाण पत्र/ सारणीय प्रमाण न्यायालय प्रमाणसम्बन्ध में संश्लित रिट अधिकार संश्ल- 1401/एम्पल/2024, 1402/एम्पल/2024, 1404/एम्पल/2024 एवं अन्य को अनुपालन में जारी उपरोक्त प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित रखिक।


 विभा विभा अधिकारी,उपविभा
 आन विड बना

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

जदेश सं- 295

/ प्रारंभिक/ नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 दिसम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अव्यापक) सेवा नियमवली 2012, शासनपत्र सं 186/XXIV(1)/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिनियुक्त सप्ला-1148/XXIV(2)/2018-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पञ्च सर्वोच्च), उत्तराखण्ड शासन वैशेषिक शिक्षा अनुदान-1 शासनपत्र सं 206205/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनपत्र सं 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रक/प्रारंभिक-दो/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुसार में ज्योहन्नाबादी कार्यालय के पत्रक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा सर्वोच्च पत्रक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगमोद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय में सहायक अव्यापक 309 पदों (सामान्य शर्तों के 284 एवं बैकजॉबिंग के 43 पद) का पालन 35400-112400 लेवेल-08 में नियुक्ति हेतु विद्यार्थियों के इन में अर्जियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक 6801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रक 6871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार में उक्त विद्यार्थियों के सम्बन्धित अर्जियों को जगमोद ऊधम समिति के अनुमोदनानुसार उनके नाम की सम्पूर्ण सूची में अंकित सारप्रतिपाल में सहायक अव्यापक के पद पर 02 वर्षों की पारिभाषिकता पर औपचारिक निदान अवकाशी का से मिल पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अर्जियों का नाम	विद्य./पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रक का पता	श्रेणी	स्थिति श्रेणी/विध	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पञ्च शोरी	अमल सुन्दर शोरी	30/1/60	राजकीय जगमोद, पंच शर्तों की पदों, पत्रक 5 जगमोद-सहायक-248171	GEN-1	GEN OTSC20	राजकीय दोनी, विद्यालय।

शासनपत्र सं 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक प्रारंभिक-दो (02)/418-2020/1308/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शिक्षा पदों को भी जाने हेतु ऊधम प्रक्रिया में अर्जित होने वाले अर्जियों को प्रथम नियुक्ति पर परम्परागत सुझाव हेतु में नियमानुसार प्रदान की गयी। सारप्रतिपाल शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार प्रदान करने हेतु किसी भी प्रकार का नार्न ब्यट देव नहीं होगा। यह नियुक्ति निदान अवकाशी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अवधि एक माह का देवन देवन समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार प्रदान करने अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा राज्य (विशेष शिक्षा) में द्वितीय विनोद (टीएचए) किन्तु इस प्रकार कहा। से व तक घटने के लिए अव्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रारम्भिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्षों के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा सम्पन्न प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में 6 माहों का एक सेटु परदव्यम (किंग कोर्से) अवकाशक रूप से पूरा करना होगा। निश्चित अवधि तक कार्यभार प्रदान न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सावधान में प्रिन्साल एवं जाने पर, कहीं जाने पर अवधि कोई तथा विचार्य जाने पर अर्जियों का अर्थान्त तत्काल प्रभाव से निरस्त का दिव्य जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अर्जित अर्जियों की पारम्परिक जांचका बाद में निश्चित की जायेगी।


 ज्योहन्नाबादी शिक्षा
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक
 ऊधम सिंह नगर

पुन्ना/ 6089-99

प्रारंभिक/ नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्तराखण्ड

सर्वोच्च-निम्नलिखित को सुलभ एवं अवकाशक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जगमोद निदेशक एन.सी.टी.ई.उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सहायक जगमोद निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, सुन्दर, मेरौलाख।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्रचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्पन्न, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधी, सारप्रतिपाल जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. जिला अधिकारी, प्रारंभिक ऊधम सिंह नगर।

ऊधम

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 296

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भाषा के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरन्तु उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रविन्द सिंह	राम सिंह	3/7/1994	ग्राम- उर्बलीगोट, पो0ओ0 टनकपुर, बन्नावात-262309	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0कि पम्डरी, सिखारगंज।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन्.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिनता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र सिंह नरिशा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6106-10

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन्0सी0टी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (क) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1453/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 297

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैदिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अजोहरस्ताहरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तरम् 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष की परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक सिंह नेनी	मनमान सिंह नेनी	2/5/1989	बली न0 12, वैशाली कलौनी, बाजपुर रोड, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 एन0एन0 टोप, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विबर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई लघु छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अन्तर्गम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञेयता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरश कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृसं0/ 6111-21 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. दिल्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं-.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सात्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (a) मुख्य शिक्षण अधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (b) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (c) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- पचाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (d) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (e) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (f) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- २१४

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(२)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधीरस्तवारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 स्केल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापत्रान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद को प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पत्रांक	श्रेणी	प्रदानित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय सिंह शिष्ट	गोविन्द सिंह शिष्ट	12/6/1996	शाम-गारी, पो-गोश्वरिया, तह० खटीमा, ऊधम सिंह नगर-202308	GEN-1	GEN PM40	रा०प्रा०वि० इस्लामनगर द्वितीय, खटीमा।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का देतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (सी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जटिलता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरन्द कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/6122-32 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एर०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं-.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 299

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती अनुरा पाण्डेय	पवन कुमार भट्ट	3/6/1993	ग्राम-नगारी गाँव, धाना-भवाली, नैनीताल-263132	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0कि भदईपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरमन् कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6133-43

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विल अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पञ्चवली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पञ्चवली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न घलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 386

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अपोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य बर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित शा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्रिन्सी चौहान	ओमेन्द विजय सिंह चौहान	18/5/1998	मकान न0 850 ए0 वार्ड न0 34 सिंह भवन, मौ0 शिवनगर, निबर चौमा चौराहा, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	GEN-1	GEN PM40	शा0प्रा0वि0 धकरपुर, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विन्मता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6/44-54 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
 - (अ) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicsnagar@yahoo.in

आदेश सं- 301

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.09.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकुर कुमार	ओम सिंह	30-12-1995	म0ना0-136, गांव-डाढ़ेकी डांगर, पो0 लखन, हरिद्वार-247663	OBC- 4	GEN PM40	रा0प्रा0वि0 मडैयाहदू, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2016 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना चुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6155-65

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरश्मिता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 302

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/18/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अजोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भाषा के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापत्रत उनके नाम के सम्मुख स्लम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लीलीफ मलिक	रहीसुद्रोन मलिक	7/9/1990	राधवी खमरिया, पोस्ट-तालपुर, थाना रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263148	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 नोविन्दपुर, सितारबंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का रेलन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनेस कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0सं0/ 6166-76

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तावत

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेरिक्त शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आगंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचयिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वीरज जोशी	गणेशचन्द्र जोशी	4/7/1995	आदर्श कालीनी, डिग्री कालेज रोड, निकट-बी0एस0एन0एल0 टावर, खटीमा	GEN-1	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0 सरपुड़ा, खटीमा।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना चुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जे0रुता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6177-87 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ए) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 304

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन ब्रैसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राकिकानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों को द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राखर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती सुशानु राठी	अक्षय कुमार	27-06-1996	म0सं0-373 के, एन02सी0 शांति सिविल लाईन, पोस्ट-नितान्त नगर, धानू-सिविल लाईन, ऋडकी, हरिद्वार-247666	OBC-4	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 बेरियादीलत, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विपरीच्य डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अन्वर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरम कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6188-98
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०टी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. दित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदसम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरश्मिता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्र सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 385

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/788-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य वर्ग) के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 6801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टिकेन्द्र चौहान	वीरेन्द्र सिंह	4/2/1992	ग्राम-आसपुर, पो0-धर्मपुर, त0 व धा0 जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN PM40	रा0प्रा0कि कोलाखेड़ा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विन्मता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/6199-6299

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) सम्मस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 307

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुश कुमार	महीपाल सिंह	10/2/1993	ग्राम-उसका, पो0-भगतौर, हरिद्वार	OBC-4	OBC PM40	रा0प्रा0शि0 हजीरा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6211-31

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्पत्त

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न घटायें जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 309

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुरार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8601 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरायण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पारुल चौधरी	राजीव चौधरी	21.07.1996	नया आवास विकास मकान नं0 सी0/300/1, फार्ड नं0 03, धाना-काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 महेशपुर, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की धारस्वरिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6243-53 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एर०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदसम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 310

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती) के 286 एवं बैकलॉग के 43 पदों पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अमंजूर किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	घण्टित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीषा शर्मा	विपिन प्रकाश शर्मा	31-01-1992	ग्राम ब पोस्ट- लालडांग, धाना-श्वामपुर, हरिद्वार-246783	GEN-1	GEN OTART70	रा०प्रा०शि० सितारगंज द्वितीय, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6254-64 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रचना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य धिकित्साधिकारी/मुख्य धिकिरसा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 311

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 02 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3716-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहरताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सागान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.06.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नेहा चौहान	हरिविन्द सिंह चौहान	10/3/2001	8/15 टण्डव मार्ग नियर कलावती धर्मशाला, देहरादून	GEN-1	GEN OTSC120	रा०प्रा०वि० सितारगंज द्वितीय, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरदीप कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6265-75 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (ग) सगस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 312

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अगोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8601 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति को अनुमोदनापरान्त उनके नाम के समुच्चय स्लैम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरेन्द सिंह कुँवर	अर्जुन सिंह कुँवर	1/7/1994	ग्राम-राईकोट, कुँवर, पो0ओ0-तोहाघाट, चम्पावत-262524	EWS-5	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 गौरीखेड़ा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्ञातता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुस्तक/ 6276-86

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (द) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (इ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (उ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 313

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1140/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सम्बन्धित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचीसाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्रकाश रानी	अमरदीप	21-08-1991	घा0-बडाखेडा (दिनेशपुर रोड)पो0आ0-गदरपुर, (ऊधमसिंह नगर)-263152	OBC-4	GEN OTSC120	रा0प्रा0शि0 पडावर्गीय, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 6287-97

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सन्स्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ग) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्यप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो।श्री०
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 314

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 02 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्काशों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (समान्य स्तरी के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सम्बन्ध निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्द्धिकाल पर औपचरिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमिक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रियाश कटियार	राम दत्त कटियार	30-12-1997	घाट नं0-8, कुमाविलर कालोनी, किष्वा (ऊधमसिंह नगर)-263148	OBC-4	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 समेश्वरपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार का 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विन्मता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य प्रिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6298-6308
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अण्डरधी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करवाये तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अण्डरधी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अण्डरधी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थानित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ख) अण्डरधी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) सगस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभिलेख/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित रखना।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.प्रि.सि.
ज्जम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अग्रोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8901 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित सा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शिवानी गुलाटी	वेतन गुलाटी	11/6/1995	गुलाटी गिफ्ट हाउस, 66 बड़ा बाजार, मन्नीताल नैनीताल-263002	GEN-1	GEN OTART70	सा0प्रा0विद्यालय देहरादून, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6309-19

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जाम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
जाम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 316

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष भिन्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ताहिशा	सतीम अहमद	9/10/1998	बी0-320, एस0टी0न0 13/4, सुभाष विहार, नोर्थ घोण्डा दिल्ली-53	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0कि रम्पुराकाजी, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योषता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6320-30

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी उपरोक्त उक्त विषय को हुए आदेश से प्रेरित हो सम्बन्धित अगवर्ती को सैद्धिक व अन्य प्रमाण पत्रों का निदान उपरोक्त हुए अधिकारी को करने हुए सम्बन्धित ही दो पक्षकारी तैयार करके तथा सैद्धिक एवं अन्य प्रमाण पत्र संसाधन हेतु सम्बन्धित होर्ड/कॉन्स को प्रेरित करे; अगवर्ती से तैयार होने सम्पन्न अधिकारी उपरोक्त पक्षकारी में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे;
10. सम्बन्धित अगवर्ती को हुए आदेश से प्रेरित हो उपरोक्त विद्यालय में कार्यभार सफल करने में पूर्व सम्बन्धित विद्यालय/कॉन्स को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/उपस्थिति में निम्न अधिकारियों को साथ देना सुनिश्चित करे तथा उपरोक्त अनुमति से उपरोक्त विद्यालय में कार्यभार सफल करे;
- (अ) मुख्य शिक्षिका/अधिकाारी/मुख्य शिक्षिका अधिकार द्वारा निर्णित स्वस्थता प्रमाण पत्र;
- (ब) अगवर्ती दो पक्षकारी अधिकारियों से पत्रिक प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नलिखित सैद्धिक, प्रमाण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्वार्थ/गुरु निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, विद्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघान सेवानी अधिकार/गुरुपूर्व सैद्धिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्पष्टतापूर्वक प्रमाण पत्र।
- (ख) प्रमाणित होने की स्थिति में एक ही पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा प्रमाणित होने का प्रमाण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा प्रमाणित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोग न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का राज्य पत्र/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में प्रेषित रिट याचिका संख्या- 1461/एसओएस/2024, 1462/एसओएस/2024, 1464/एसओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अगवर्ती प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला
उमम सिंह नगर

आदेश सं- 317

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	अनामिका	प्रमोद महलोत	1/7/1996	मो0नन्दा सिंह, गार्ड न02, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0 मसीत, नवरतुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6331-41

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगजयसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्यथी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अग्यथी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अग्यथी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अग्यथी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल विकास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रती।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तरखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण
जगजयसिंह नगर

आदेश सं- 318

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सता पाण्डे	देवी दत्त पाण्डे	25-03-2001	ग्राम-सेरुभनेरिया, पो0-देहाट, अल्मोडा-263669	GEN-1	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0 नकहा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरनेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6342-52

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी उपरोक्त उक्त विद्यालय को इस आशय से डेपुटी की सम्बन्धित अस्पष्टी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का निरीक्षण उनके मूल अभिलेखों से कराने हेतु सम्बन्धित डी को परामर्शी तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र साक्षात्पत्र हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को डेपुटी करें। अस्पष्टी से संगठित गये सम्बन्धित अभिलेख उनकी परामर्शी से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अस्पष्टी को इस आशय से डेपुटी की परामर्शीत विद्यालय में कार्यभार सौंप कराने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/प्रतिभा में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति से उपरोक्त विद्यालय में कार्यभार सौंप करे।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/अधिकाारी/मुख्य शिक्षिका आर्थिक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अस्पष्टी को राजस्विक अभिलेखों से खरिद प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नलिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाफ/पुस्तक निरीक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संघान सेवानी आदि/सुरक्षित शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) मानवीय म्यादालय द्वारा प्रमाणित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अयोग्यता न बताया जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ मानवीय उच्च म्यादालय उत्तराखण्ड में घोषित रिट शक्तिका संख्या- 1481/एसओएस/2024, 1483/एसओएस/2024, 1484/एसओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित रखें।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण
उक्त सिंह नगर

आदेश सं- 319

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अपोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 58 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य गती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	विद्याधर	खीमानन्द जोशी	10/4/1978	ग्राम व पोस्ट-कोटा जमरुडी, जनपद-धम्पाकत-262523	EWS-5	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० मुजिया, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6353-63

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0रि0
उज्जैन सिंह नगर

आदेश सं- 320

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 07 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (संघ संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 200335/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सातगंज भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 36400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सार्वभूमि विनियमित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट # में अंकित प्रा०शि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्तितकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चांगार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आकाश चौहान	मनोज कुमार	19-04-1993	ग्राम-कलालहटी, पो-हल्लूगजर, तह भगवानपुर, हरिद्वार-247861	GEN-1	GEN OTART70	प्रा०शि० कपूर, मदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरदीप कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

प्रा०सं०/ 6364-74

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उम्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 321

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिवृत्त संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुष्ठान-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अग्रहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित सा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचयाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वाति	विजयपाल सिंह	9/5/1991	केशवपुरम कालोनी, निकट गौतमी होटल बाजपुर रोड कारीपुर-244713	GEN-1	GEN OTART70	सा0प्रा0वि0 बैतखंडी, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरिन्दर कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6375-85

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जयप्रद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का विवरण उनके पुत्र अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से संग्राहे गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परम्परागत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (i) मुख्य शिक्षणसाधिकारी/मुख्य शिक्षणसा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ii) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से करिये प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (iii) निम्नलिखित शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/पुनर्निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
 (iv) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (v) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, जयप्रद
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 322

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरील कुमार	सुरेश चन्द	4/8/1999	मो0-गुजरातिया निकट- हीरा गार्डन, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 सरदारनगर, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/6386-96

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षित्वाधिकारी/मुख्य शिक्षित्वा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0सि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 323

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भाषा के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा०शि०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्तिताकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलका सती	दिनेश चन्द्र सती	13-04-1998	प्लॉट न०-8, मंगलविहार फेज-2, धाना-दहेली, सुजानपुर-208015	OBC-4	OBC OTSC120	छात्राश्रमि स्मृता, कदपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6397-6407 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 324

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जगपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राभार का पता	श्रेणी	घयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजय सिंह मेहता	त्रिलोक सिंह मेहता	20-02-1993	पुलिस स्टेशन-सिविल लाईन रुड़की, दुर्गा कालोनी निकट डोगरा लाईन, रुड़की हरिद्वार-247687	EWS-5	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 नौगवां, रुड़पुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में घयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। घयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6408-18

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से शरिज प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर योजनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख शतम्ब 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूजा सिंह	धन सिंह	7/7/1997	ग्राम-जसारी(रतनपुर) पोस्ट-झनकट, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	GEN-1	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० सितारगंज द्वितीय, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6419-29

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 326 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुधाशु, जौहरी	कृष्ण स्वरूप जौहरी	2/7/1991	ए0-206, शान्तिविहार, रुद्रपुर, धाना-रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263153	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 पक्की खनरिया, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरदीप कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6430-40

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
 3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
 4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
 6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
 7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
 8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगजितसिंह सिंह नगर को इस आशय से ड्रेफ़िट की सम्बन्धित अभ्यर्थी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से कराने हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सावधान हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को ड्रेफ़िट करें। अभ्यर्थी से मंगारे गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से ड्रेफ़िट की परामर्शित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दो प्रतिनों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ix) मुख्य शिक्षक/सहायक/मुख्य शिक्षक/अधिकांक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (x) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (xi) सम्बन्धित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल विद्यालय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (xii) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (xiii) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (xiv) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित धजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०शिक्ष०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 328

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्ति विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ललिता चौहान	अजय कुमार	10/12/1999	ग्राम व पोस्ट-भैसा, थाना- शिवला कला, ब्लाक-नूरपुर, बिजनौर।	GEN-1	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० विद्या अकबर, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्ति विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरमन कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6452-62

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 329

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित की गयी अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित की सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चायत का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष कुमार गर्ग	ओमकुमार गर्ग	28-09-1988	ग्राम व पोस्ट-खानपुर, वाया रायसी धाना-लखसर, हरिद्वार-247671	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 मोटा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0 / 6463-74 प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक- उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नत सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से कराने हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सावधान्य हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाने गये सम्बन्धित अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परामर्शागत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/प्रतियों में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति को उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य शिक्षिका/अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) निम्नलिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/गुरु विद्यालय प्रमाण पत्र, ज्ञान प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघाम सेनानी अभिलेख/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य को अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०सि०
उन्नत सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधम सिंह नगर।

E-Mail: deobaskusnagar@yahoo.in

अवेक-332

प्रा.शि.0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर 2024

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अव्ययक) सेवा नियमावली 2012 शासनार्थक सं० 105/XXIV(1)/2012/स. 2018 दिनांक 26.08.2012 उत्तराखण्ड सरलन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-स. 2018 दिनांक 14 सितम्बर 2018 (प्रथम संशोधन) उत्तराखण्ड सरलन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनार्थक सं० 29833/XXIV-A-1/2024-4817/2024 दिनांक 26.08.2024 तथा शासनार्थक सं० 214148/XXIV-A-1/2024-4817/2024 दिनांक 26.08.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रक प्रा.शि.0-102/190-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रक सं० दिनांक 13.08.2024 तथा संशोधित पत्रक सं० दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगज्य उधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में लक्ष्यक अव्ययक 300 पदों (लक्ष्यक भती के 200 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 ग्रेड-16 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अर्पित किये गये थे। निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक सं० दिनांक 21.08.2024 एवं पत्रक सं० 8871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा के लक्ष्यक नियमित अभ्यर्थियों को जनपदीय समन समिति के अनुमोदनपत्र प्राप्त उनके नाम के सम्मुख संख्या 8 में अर्पित उत्तराखण्ड के लक्ष्यक अव्ययक के पद पर 12 वर्ष के परिचालकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	शिक्षा/सी का नाम	जन्म तिथि	रजिस्ट्रार का पता	श्रेणी	पदावधि श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शिविका देवी	शिविका देवी	10/1/1980	डी.आर.डी. कार्लोरी निकट लेडी क्वीनर हायुस, उत्तरपुर-244712	GEN-1	GEN ZBC40	राधाकि एएनए टीए, भाजपुर।

शासनार्थक सं० 1553/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी 2021 तथा निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक प्रा.शि.0-102/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनिर्भूत शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उसके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा मात्र (निर्गम शिक्षा) में द्वितीयक विद्यालय (डी०ए०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अव्ययक के रूप में नियुक्त शिक्षक को प्रारम्भिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में 6 महीने का एक हेतु माध्यम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। लैंगिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिनता गये जाने पर कमी गये जाने पर अवधि कोई तथ्य दिखाये जाने पर अभ्यर्थी का अर्थार्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। घयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योस्तता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.0
उधम सिंह नगर

पुस्तक/6475-85

प्रा.शि.0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्सवत

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निर्देशक एन.सी.टी.ई. (आर.टी.डी) उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, उधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा.शि.0 उधम सिंह नगर।

क्रमसं. _____

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतिगों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अरीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 08 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0सि0
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 208035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सपेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	श्रीमती मनीषा खनका	सचिन सिंह मुंडेला	31-01-1995	घा0-महत गाँव, पो0आ0-चकरपुर, खटीमा, ऊधमसिंह नगर	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 सितारगंज प्रथम, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनन्द मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6486-96

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

- 9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जलपद/उच्च शिक्षा नगर को इस आदेश से उचित की सम्बन्धित अगुवणी के सैकिक एव अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से कराने हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कराने तथा सैकिक एवं अन्य प्रमाण पत्र साधारण हेतु सम्बन्धित कोर्ट/सम्बन्धित को उचित करे। अगुवणी से संगठित गये सम्बन्धित अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
- 10. सम्बन्धित अगुवणी को इस आदेश से उचित की परस्परगत विद्यालय में कार्यन्वय प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित विकास/सम्बन्धित को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/उपस्थिति में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुपस्थिति की उपस्थित विद्यालय में कार्यन्वय प्रदान करे।
 - कि मुख्य शिक्षा/साधिका/मुख्य शिक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वसम्बन्धित प्रमाण पत्र।
 - कि अगुवणी को सम्बन्धित अधिकारियों से सन्निव प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - कि सम्बन्धित सैकिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (किसे- सगुवणी/मूल विद्यालय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त रूप से कामजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/सर्वसंगता संघान सेवानी अधिकार/सुलभ सैकिक अदि जो लागू हो) की दिव्यंक सन्निव स्वसम्बन्धित प्रति।
 - कि निव्यवहित होने की स्थिति में एक ही पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अतिरिक्तित होने का घोषणा पत्र।
 - कि माननीय न्यायालय द्वारा सन्निव न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न सज्जते जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - कि किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शक्य पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा सन्निवृत तथाग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तरासम्बन्धित में सन्निवृत रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुसालन में जारी अनुसन्धित प्रमाण पत्र।
- 11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।


 जिला शिक्षा अधिकारी, जलपद
 उच्च शिक्षा नगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicsnagar@yahoo.in

अदेश सं- 332

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राज्यकी प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा विधमानवी 2012 शासनादेश सं० 105/XXIV(1)/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-20/2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (प्रथम संशोधन) उत्तराखण्ड शासन बसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 200305/XXIV-A-1/2024-48375/2023 दिनांक 08.08.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-48375/2023 दिनांक 28.08.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक प्रा०शि०-दो(2)/788-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अयोधराजारी कार्यालय के पत्रांक 88 दिनांक 13.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जयपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 308 पदों (साधारण मर्ती के 288 एवं बैंकजों के 20 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-25 में नियुक्ति हेतु विद्यार्थियों के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2801 दिनांक 21.08.2024 एवं पत्रांक 8871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विद्यार्थियों के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जयपदीय समन समिति के अनुमोदनानुसार उनके नाम के सम्मुख सल्लाह 8 में अंकित विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	कार्यभार का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपकी परमा सिंह	जीवन सिंह	78-12-80	भूख महोदिया विकासनगर शितारगज रोड पोस्टो-खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262208	GEN-1	GEN OTART70	राज्याधिकी इस्लामनगर प्रथम, खटीमा।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (32)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु बयन प्रक्रिया में ब्यक्ति होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एच.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ब्यक्ति अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरन सिंह मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं/ 6497-6507 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निर्देशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं-_____

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 333

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 196/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 208035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोध्यामरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अर्पित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती विनीता	मोहित कुमार	14-04-1993	प्रा० व पोस्ट-नारसन कला, थाना-मंगलौर, हरिद्वार-247670	OBC-4	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० मन्नराशीला, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

प्रा०सं०/ 6508-18

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

8. सम्बन्धित उप विभागीय अधिकारी जनसुव्यवस्था विभाग नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अगुआओं के सैकिक व अन्य प्रमाण पत्रों का निदान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो प्रमाणपत्र तैयार करते तथा सैकिक एवं अन्य प्रमाण पत्र साक्षात्पत्र हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अगुआओं से संग्राह्य पत्रे समस्त अभिलेख उनकी प्रमाणपत्रों में सुनिश्चित रूपसे सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित अगुआओं को इस आशय से प्रेषित की परवर्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ पैग सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुपस्थिति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (क) मुख्य शिक्षण/अध्यापिका/मुख्य शिक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ख) अगुआओं दो राजपत्रित अधिकारियों से करिब प्रमाण पत्र जो एक मास से पूर्व का न हो।
 (ग) निम्नलिखित सैकिक, धार्मिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की विनांक सहित स्वदस्तावेज प्रति।
 (घ) अतिरिक्त होने की स्थिति में एक ही पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अतिवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) सैन्यीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का साधक पत्र/सारकारीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र।
 (छ) सैन्यीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में गीजित रिट याचिका संख्या- 1481/एफओएस/2024, 1482/एफओएस/2024, 1484/एफओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुनिश्चित प्रतिक।


 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो.वि.ओ.
 जमन सिंह नगर

आदेश सं- 334

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विश्वेश चन्द जोशी	चिन्तानगि जोशी	1/2/1992	186/2, माधवपुरम, दिल्ली मार्ग, थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ	GEN-1	GEN HIN15	रा0प्रा0वि नकटपुरा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरन्द कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6519-29

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षण अधिकारी/मुख्य शिक्षण अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरथता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 335 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लाम्म 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	संगणित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टीपक कुमार	नन्दराम सिंह	5/6/1995	ग्राम-गाजीवाली, पो0 व धाना- श्यामपुर, हरिद्वार-249408	OBC-4	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 डोंगपुरी, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विपरीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनन्द कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0 / 6530-40 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप विभागाधिकारी जयपदज्जम सिंह नगर को इस आशय से डेपुटि की सम्बन्धित अम्बन्धी को सैकिक व अन्य प्रमाण पत्रों का विभाग उपकी मुज अमितेखी से कसो हुग सम्बन्धित की सो परकवली तैयार कवले तथा सैकिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सावधान हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को डेपुटि करे। अम्बन्धी से संगवे गवे समस्त अभिलेख उपकी परकवली से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अम्बन्धी को इस आशय से डेपुटि की परस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड को उप विभागाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिपत्रे प्रतियी में निम्न अभिलेखी को साथ देना सुनिश्चित करे तथा उपकी अनुमति को उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
- हेतु मुख्य शिक्षणधिकारी/मुख्य शिक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
- हेतु अम्बन्धी को परकवली अधिकारियों से भरिब प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- हेतु समस्त सैकिक, धर्मिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मुज निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर विद्याभ्यास प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभिलेख/भूतपूर्व सैकिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियी।
- हेतु विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- हेतु मानवीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- हेतु किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का प्रमाण पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ मानवीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में घोषित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य को अनुपालन में जारी अन्तर्गत प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशासिक
जय सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 336

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोविन्द कुमार	धर्मपाल सिंह	5/10/1988	ग्राम व पोस्ट-पिरानकतियर, तह0 रुडकी, हरिद्वार	SC-2	SC BACKLOG	रा0प्रा0विद्यालय केलाखेड़ा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरभद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6541-51

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अर्न्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अर्न्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अर्न्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अर्न्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे— स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या— 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उज्जैन सिंह नगर

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कु० मोहिनी चन्देल	ऋषिपाल सिंह	18-11-1991	ग्राम-फेरूपुर (रामखेड़ा) पो०-धनपुरा, धाना-फथरी पिन-249404	OBC-4	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० खुशालपुर, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6552-62

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 338

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 63 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिधीकाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोपाल सिंह दानू	देव सिंह दानू	9/1/1992	भूराखाम, टंगर, चौदमारी, काठनोदाम, नैनीताल-263126	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 शिवनगर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विषर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6563-73

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जलपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्यधी के सैलिक न अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अग्यधी से मंगाने गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अग्यधी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
- (i) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ii) अग्यधी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (iii) समस्त सैलिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संचाम सेमानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (iv) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (v) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अमियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 186/XXIV(1)/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1140/XXIV(1)/2018-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (नियम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 258338/XXIV-A-1/2024-40378/2023 दिनांक 08.08.2024 तथा शासनादेश सं० 214148/XXIV-A-1/2024-40378/2023 दिनांक 28.08.2024 में विवे गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक प्रा०शि०-दो(2)/788-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अतिरिक्तकारी कार्यालय के पत्रांक 80 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 21 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अर्पित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 28031 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में विवे गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के शेष शिथिल अर्हताओं को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपत्रावली उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित एडमिशन विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	भरती/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रेनु सिंह	जयचम सिंह	15.08.1997	मकान नं० 330, गोरखपुर नामका, धाना-अकललगढ़ तहसी धामपुर बिजौली-246722	GEN-1	GEN ZBC40	राधिका भदईपुर, रूढ़पुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेश्वर नगर मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6585-95
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद/जमन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से संग्राहे गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- लेख मुख्य शिक्षिका/अधिकाारी/मुख्य शिक्षिका अधिकाारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- लेख अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकाारियों से सरिख प्रमाण पत्र जो 08 माह से पूर्व का न हो।
- लेख समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संधान सेगामी आभित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- लेख अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- लेख भवनीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- लेख किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ भवनीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जमन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 34

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अगोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरन्तु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लक्ष्मण चन्द	हरीश चन्द	10/12/1997	मोहनपुर विष्णुपुरी कालोनी, धाना-टनकपुर, चम्पावत।	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 हंसपुर, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 659C-6606


प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (शामान्य बर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरायण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती रीता भट्ट	त्रिवेणी चन्द	21-04-1991	राज प्रिंटेर्स, झुलाबाजार, ऑपलाकोट, कोटाबाग, नैनीताल-263159	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 चन्दनपुरा प्रथम, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6618-28

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरक्षता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 344 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुशील कुमार मौर्य	गुरुदयाल मौर्य	4/5/1990	शिव कालोनी, ग्राम व पो0-गौपवांठगु, पीलीभीत रोड खटीमा, ऊधम सिंह नगर।	OBC-4	OBC OTART70	रा0प्रा0वि0 विरेन्द्रनगर, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरमन कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 6629-39

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्रम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा०शि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील कुमार	श्यामलाल	17-12-1983	ग्राम व पोस्ट-रायसी, थाना-लक्सर, हरिद्वार-247671	OBC-4	OBC OTART70	प्रा०शि० रतनपुरी, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6640-50 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 346 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 3 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकित कुमार	राजेन्द्र कुमार	8/7/1995	ग्राम-प्रतापपुर, पोस्ट-खानपुर ब्रहमपुर, धाना-लक्सर, हरिद्वार-247671	OBC-4	OBC OTART70	रा0प्रा0वि नमुना, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 6651-62 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उच्च शिक्षा अधिकारी जलपदच्छेद रिट नगर को दुरु अवस्था में देखित की सम्बन्धित अगवसी के सैद्धिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अधिकारियों से करने हुए सम्बन्धित की ली परामर्शी तैयार कराई तथा सैद्धिक एवं अन्य प्रमाण पत्र कायदापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को देखित करें। अगवसी से संगठने गये सम्बन्धित अधिकारियों उनकी परामर्शी में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अगवसी को दुरु अवस्था को देखित की परम्परागत विद्यालय में कार्यभार सफल करने में पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड को उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतिपत्तियों में निम्न अधिकारियों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार सफल करें।
- (क) मूल्य विधिकार्याधिकारी/मुक्त विधिकार्या अधिकार द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अगवसी की राजपत्रित अधिकारियों से परित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) स्वस्थता सैद्धिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्वार्थ/मूल निवास प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघान सेवानी अधिकार/मृतपूर्व सैद्धिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अतिरिक्त होने की स्थिति में एक ही पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अतिरिक्त होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किन्हे जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न कराये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का राज्य पत्र/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत तथा पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में घोषित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएस/2024, 1483/एसओएस/2024, 1484/एसओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड
जलपदच्छेद नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 347 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 3 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्खानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्रीति	अतुल चौहान	10/7/1991	आवास विकास कालोनी, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0 मढईपुरा, रूढ़पुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6663-74 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करवें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से भंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 348

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 3 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अपोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास निर्मल	मनोज कुमार निर्मल	15-07-1997	ग्राम-अजीतपुर, पोस्ट-बरा, ऊधम सिंह नगर।	SC-2	SC BACKLOG	रा0प्रा0शि0 महाराजपुर, रुड़पुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरप्रीत कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6675- 86

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 350 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 3 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती तनु सिंह	विवेक कुमार	30-06-1993	म०न०-ए०11 प्रीत विहार कालोनी, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	GEN-1	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० खेड़ा, रुद्रपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6699-6710 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक- उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप विभा अधिकारी जनसदस्यम सिद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्रणी के सैलिक व अन्य प्रमाण पत्रों का विभाग उनके मूल अभिलेखों से करती हुए सम्बन्धित की दो प्रकाशनी तैयार करावे तथा सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अग्रणी से लगावे गये सभ्यता अभिलेख उनकी प्रकाशनी में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अग्रणी को इस आशय से प्रेषित की परस्मात्तित विद्यालय में कार्यभार प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप विभा अधिकारी कार्यलय में अपनी उपस्थितियों प्रतिष्ठों में विभिन्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार प्रदान करे।
 कि मूलाधिकारि/मुख्य अधिकारि द्वारा निर्गत स्वसम्पत्ता प्रमाण पत्र।
 कि अग्रणी को राजपत्रिका अधिकारिणी से सदिश प्रमाण पत्र जो 06 नम्बर से पूर्व का न हो।
 कि सभ्यता सैलिक प्रतिष्ठान एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्वार्थ/मूल विद्यालय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/पूरापूर्व सैलिक आदि जो लागू हो) की विवरण सदिश स्वसम्पत्तित प्रति।
 कि विवरणित होने की स्थिति में एक ही पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 कि मानवीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न करावे जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 कि किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/मानवीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में घोषित रिट याचिका संख्या- 1401/एस्पाएस्पा/2024, 1403/एस्पाएस्पा/2024, 1404/एस्पाएस्पा/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अन्यायित प्रमाण पत्र।
11. कार्यलय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जयसिंह
 जयसिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 351 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गितेश राणा	मुरारी सिंह	10/5/1997	ग्राम-भरीनी, पो0-लामाखेडा, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262405	ST-3	GEN ZBC40	रा0प्रा0विद्यालय सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0 / 6711-21

प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पञ्चावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगये गये समस्त अभिलेख उनकी पञ्चावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (स) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थाता प्रमाण पत्र।
 (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
 उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 352 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अतुल पचौली	गौरी दत्त पचौली	12/5/1995	घाई न0 4, मेन मार्केट बनबसा, पो0 धन्दी, चम्पावत-262310	EWS-5	EWS ENG15	रा0प्रा0शि0 सितारगंज प्रथम, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेश कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6722-32 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जलपदज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अल्पवर्षी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अल्पवर्षी से संगठित गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अल्पवर्षी को इस आशय से प्रेषित की परदस्तावेजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति को उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अल्पवर्षी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी अश्रित/मूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रती।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अमियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जलपद
ज्जम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शुभम नागर	इरक लाल	24-12-1998	ग्राम व पोस्ट-चुडियाला मोहनपुर, तह0 भगवानपुर, हरिद्वार-247681	SC-2	SC BACKLOG	रा0प्रा0वि0 संजयनगर द्वितीय, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरदीप सिंह मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6733-43 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का विवरण उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करवें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सात्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उपकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परम्परागत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिपत्र प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (क) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ख) अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) अत्यन्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल विद्या प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संघाम सेवानी अभित/मृतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसएएस/2024, 1483/एसएएस/2024, 1484/एसएएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित भजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो.सिंह
 उज्जैन सिंह नगर

आदेश सं- 354 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहरताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ज्योति सक्सेना	राकेश सक्सेना	13-12-1996	एम0आई0जी0-491, आवास विकास, धाना-ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि कुरैया, रूद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6744-54 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप विभागाधिकारी जनसम्बन्धन विभाग नगर को इस आराम से प्रेषित की सम्बन्धित अगुवणी को सैजिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके पूर्व अभिलेखों से करती हुए सम्बन्धित की वो प्रस्तावती तैयार करती तथा सैजिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अगुवणी से संग्रह्ये गये समस्त अभिलेख जगदी प्रजावादी में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अगुवणी को इस आराम से प्रेषित की परस्थापित विद्यालय में कार्यभार प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड को उप विभागाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतिवेदन में विभिन्न अभिलेखों की साथ वेग सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति को उपरान्त विद्यालय में कार्यभार प्रारम्भ करे।
 - कि मुजब किफिरत/अधिकारी/मुजब किफिरत अतीसक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - कि अगुवणी को उपस्थित अधिकारियों से शरिफ प्रमाण पत्र जो 26 माह से पूर्व का न हो।
 - किमता सैजिक, शरिफन एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (किसे- ल्याई/मुज विचार प्रमाण पत्र जारी प्रमाण पत्र, शरिफिक रूप से कनजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वस्थता संघान सेनापी आशित/भुतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की विभागाधिकारी स्वस्थतापत्र।
 - किविद्यार्थी होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - कि मानवीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - कि किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का प्रमाण पत्र/सारणीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ मानवीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस्/एस्/2024, 1483/एस्/एस्/2024, 1484/एस्/एस्/2024 एवं अन्य को अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित धरिका।


 जिला शिक्षा अधिकारी, जलपिठ
 जलम शिह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 355 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दीक्षा	गंगा सरन	1/1/1997	घाट न0 24, नजदीक दुर्गा मन्दिर चौक रम्पुरा, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263153	SC-2	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि कुरैया, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरिन्दर कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6755-65 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप विद्या अधिकारी उपरोक्त विद्यालय को इस आदेश से उचित ही सम्बन्धित अगवती के सैलिक व अन्य प्रमाण पत्रों का विद्यालय अगवती को उपरोक्त ही से वापस करवा लेना सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्र वापस लेने सम्बन्धित अगवती/संस्था को उचित है। अगवती से वापस लेने प्रमाण पत्रों अगवती वापस लेने सुनिश्चित करना सुनिश्चित है।
9. सम्बन्धित अगवती को इस आदेश से उचित ही परामर्शित विद्यालय में कार्यवाही प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय/अगवती को उप विद्या अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/उपस्थिति में विद्यालय/अगवती से वापस लेने सुनिश्चित है तथा अगवती अगवती को वापस लेने कार्यवाही प्रदान करें।
- (A) मुख्य शिक्षक/अध्यापिका/मुख्य शिक्षक/अध्यापिका द्वारा निर्णित व्यवस्था प्रमाण पत्र।
- (B) अगवती को वापस लेने कार्यवाही से संबंधित प्रमाण पत्र जो 28 तक से पूर्व का न हो।
- (C) प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/समाजिक संघर्ष सेना/अर्थिक/पुनर्निर्माण सैलिक अति (जो जगू ही) की विद्यालय में वापस लेने सुनिश्चित है।
- (D) उचित होने की स्थिति में एक ही पापी/पति होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अगवती उचित होने का प्रमाण पत्र।
- (E) सामाजिक न्याय/अध्यापक द्वारा उचित न किन्हीं जाने तथा किसी प्रकार का अभियोग न वापस लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- (F) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का प्रमाण पत्र/सामाजिक सेवा में होने पर सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र/ सामाजिक न्याय/अध्यापक उल्लेखित न किन्हीं विद्यालय/अध्यापक/अध्यापिका/अध्यापिका- 1481/एचएचए/2024, 1483/एचएचए/2024, 1484/एचएचए/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अगवती प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुनिश्चित है।

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला
अध्यक्ष शिक्षा

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 358 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-26/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 208338/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अग्रहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 13.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (साधारण शर्तों के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आगूत किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरन्तु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित ए०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रफुल्ल कुमार पंत	पूरन चन्द पंत	1/1/1986	मकान न०-5/829, विनायक, अस्था विहार, तुलसीनगर, पीसीसीट, काठगोदाम, नैनीताल	GEN-1	GEN PM40	प्रा०प्रा०शि० उकौली, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फजी पाये जाने पर अथवा कोई लक्ष्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेश्वर मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6766-76 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 357 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा विन्यावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/788-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अवेहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य शर्तों के 266 एवं बैकलॉगिंग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय भयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती स्वाति शर्मा	राजीव कुमार शर्मा	07/1990	तीरगढ़ी निकट कौस्तिक फ्लोर मिल, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 झगड़पुरी, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रासं0/ 6777-87 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचीकाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जितेश कुमार	जगदीश प्रसाद	28.05.1994	ग्राम व पोस्ट-डुबेरा, थाना सिविल लाइंस रूड़की, हरिद्वार-247666	SC-2	SC OTSCI20	प्रा0विद्यालय बरी, रूड़पुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6788-98 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरथता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 359

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती नेहा दुम्का	हेम चन्द जोशी	15-10-1992	ग्राम-दीना, पो0ओ0-हल्द्वीड, तह0 तालकुआ, धाना-तालकुआ, नैनीताल 263139	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0कि पंतपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6799-6809 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जलपदउमन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्बुषी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की को पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्बुषी से मंगाने गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्बुषी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विशालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विशालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (से) मुख्य शिक्षणअधिकारी/मुख्य शिक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (द्वे) अम्बुषी को राजपत्रित अधिकारियों से शरिज प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (तृ) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (च) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (छ) माननीय न्यायालय द्वारा पण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (ज) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र0सि0
 उमन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	काजल	सुभाष बहादुर सिंह	4/2/1995	ग्राम-उमरपुर, पो-धरमपुर, धाना-जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0शि0 काजपुर ग्राम, काजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेंद्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6810-20 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उम्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 361 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दीपा शर्मा	गौरव कुमार	20-07-1997	न0न0-143, आवास विकास कालोनी, वार्ड न0 11, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC-4	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0 गढ़ीपट्टी, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6821-31 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तयत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 08 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उज्जम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 362 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुनाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	घयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जया रानी	ब्रजपाल सिंह	12/7/1998	मोहल्ला गुजरतियान, निकट गौधी पार्क जसपुर, ऊधम सिंह नगर	SC-2	SC PM40	रा0प्रा0शि0 ब्रजडपुरी, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में घयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। घयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरनेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6832-42 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 363 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	रेखा मेहरा	मोहन सिंह मेहरा	12/5/1996	न्यू इन्दा कालोनी, खत्याड़ी, अल्मोड़ा-263601	EWS-5	EWS OTART70	रा०प्रा०वि० मङ्गरासीला, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरिन्दर कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6843-53 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

10. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद/जाम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित जगहों के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करती हुए सम्बन्धित की ही परामर्शी तैयार करती तथा शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। जगहों से मंगाने वाले समस्त अभिलेख उनकी परामर्शी से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित जगहों को इस आशय से प्रेषित की परम्परागत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ख) मूल चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ग) जगहों से राजपत्रित अधिकारियों से भरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (घ) निम्नलिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, जैविक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संधान सेनागी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की टिप्पण सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ङ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (च) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अग्रियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (छ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएस/2024, 1483/एसओएस/2024, 1484/एसओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनायति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जाम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 364 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्तक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केशव प्रभाकर	नीबत सिंह	30-06-1997	मोहल्ला भूपसिंह निकट काली माता मंदिर, पो/थाना/तह-जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	SC-2	SC PM40	रा०प्रा०वि० विरहा, बाजपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 6854-64 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अभ्यर्थी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) सगस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 365 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.08.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/705-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अयोधस्तासरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 36400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8001 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरायण उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरुण कुमार	खुशीराम सिंह	12/1/1997	ग्राम-बाबरखेड़ा, पो0-कुण्डा, तह0 कासीपुर ऊधम सिंह नगर।	SC-2	SC PM40	रा0प्रा0शि0 कोंगपुरी, गदलपुर।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं०/ 6865-75 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति को उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (क) मुख्य शिक्षित्वाधिकारी/मुख्य शिक्षित्वा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) निम्नस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संचायन सेमानी आशित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०श०
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 366 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राकिसानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों को द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	घवणित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दिव्या कनौजिया	विकास निर्मल	28-07-1997	घाम-अजीतपुर, पोस्ट-बरा, ऊधम सिंह नगर।	GEN-1	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0 आजादनगर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का नार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिन्ता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6876-86 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यापी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यापी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यापी को इस आशय से प्रेषित की परस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अतिरिक्त द्वारा निर्गत स्वरस्यता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यापी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0वि0
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicsnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 367 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोधस्ताजरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजय पाल	आनन्द कुमार	11/4/1998	ग्राम-मल्ली सिनोली, पो-प्युडा, धाना-मुक्तेश्वर पिन-263138	SC-2	SC PM40	रा०प्रा०शि० उकरौली, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6887-97 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रायत्ती तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रायत्ती में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र0सि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 368 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती कमला बोहरा	पूरन सिंह सामन्त	5/7/1991	सीसा फैंवरी रोड, निघर एम0ई0एस0 कैम्प, पो0 घग्गावत, तह0 घग्गावत-262523	EWS-5	EWS OTART70	रा0प्रा0वि0 सितारगंज प्रथम, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6898-6908 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ख) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ग) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (घ) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ङ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (च) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (छ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा रवीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 371

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	घयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमित कुमार	लक्ष्मी चन्द	1/5/1991	ग्राम व पोस्ट- खास घनपुरा, थाना-पधरी, हरिद्वार-249404	SC-2	SC OTSCI20	रा0प्रा0वि0 बेरियादीलत, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में घयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। घयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6931-41

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक- उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरक्षता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

आदेश सं- 372 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (विषय संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 200335/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधीनस्थकारी कार्यालय के पत्रांक: 89 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जगपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्द्धाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ईश्वर सिंह	चन्द सिंह	4/4/1994	ग्राम-पासम्, पो0-तीशाल, धम्पावत-262524	GEN-1	GEN HIN15	रा0प्रा0वि0 रामजीवनपुर न03, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

प्रा0सं0/ 6942-52 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित जल शिक्षा अधिकारी जनसंपर्कजन विह नगर को इस आशय से सूचित की सम्बन्धित जलशरी के सैजिक व अन्य प्रमाण पत्रों का निदान जलशरी मूल अधिकारी से करने हुए सम्बन्धित जी पी नगरपाली तैयार कराई तथा सैजिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सम्पादन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को सूचित की; जलशरी के संसाधे गये समस्त अधिकार जलशरी नगरपाली से सुरक्षित रखना सुनिश्चित की।
10. सम्बन्धित जलशरी को इस आशय से सूचित की परस्परगत विद्यालय में कार्यभार प्रदान करने में पूर्ण सम्बन्धित विद्यालय/संस्था के जल शिक्षा अधिकारी कार्यलय में अपनी उपस्थिति/प्रतिवे में निम्न अधिकारियों के साथ वीन सुनिश्चित करने तथा जलशरी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार प्रदान की।
- (i) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षक अधिकार द्वारा निर्गत व्यवस्था प्रमाण पत्र।
- (ii) जलशरी को सातपदिन अधिकारियों से खरिद प्रमाण पत्र जो 08 मास से पूर्व का न हो।
- (iii) संस्थागत सैजिक, धरिजन एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्वार्थ/पुत्र निवास प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र से सम्बन्धित, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/सर्वोच्च संदान सेवारी आदि/पुनर्पुर्ण सैजिक जति जे लागू हो) की दिनांक सहित उपस्थानित प्रति।
- (iv) अतिरिक्त होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अतिरिक्त होने का प्रमाण पत्र।
- (v) मानवीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अपिरोजन न पसारे जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र/ मानवीय न्यायालय उत्तरदायक में संज्ञित रिट याचिका संख्या- 1481/एचएचओ/2024, 1482/एचएचओ/2024, 1484/एचएचओ/2024 एवं अन्य के अनुसन्धान में जारी अनुपस्थित प्रमाण पत्र।
11. कार्यलय सुरक्षित धरिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जलशरी
जनसंपर्कजन नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 373

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री0 ऋतुराज सिंह	रघुराज सिंह	14-05-1997	बी0-164, नई यमुना कालोनी, डाकपत्थर, थाना-विकासनगर, देहरादून-248125	OBC-4	GEN HIN15	रा0प्रा0कि अलखदेवा, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6953-63 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करतें हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करतें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 374 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती नोविन्दी बोहरा	राकेश कुमार	15-10-1985	ग्राम-बोकटी, पो0-खिरमाण्डे, तह0-गंगोलीहाट, विधौरागढ़-262522	GEN-1	GEN HIN15	रा0प्रा0वि0 खेड़ा, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 6964-74 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 375 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	धयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती निगार	मो० खुसनूद	21-09-1993	843, भारत नगर बन्धा रोड निकट लडकियों का मदरसा, रुडकी-247867	OBC-4	OBC ZBC40	रा०प्रा०वि० बाल्मिकी नगर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6975-85 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदज्जम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये सवरत अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से शरित् प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) अलगस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०श०
ज्जम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 376 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजनीश सिंह राणा	महेन्द्र सिंह राणा	20-05-1995	ग्राम-कुटरी, पो०ओ०-चकरपुर, थान-खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	ST-3	ST OTART70	रा०प्रा०वि० मझराझुन्नी, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 6986-96 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 377 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चाचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रेम पाल	हीरा लाल	15-04-1991	ग्राम- बरी, पो0-बरा, तह0-किच्छा, ऊधम सिंह नगर।	OBC-4	OBC ZBC40	रा0प्रा0वि0 हजीरा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 6997-7607 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाने गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत शपथ पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 378 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमल रस्तोगी	राधे श्याम रस्तोगी	16-01-1994	घाई न05, रामनगीना गली, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर	OBC-4	GEN HIN15	रा0प्रा0वि0 जौरसाल, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7608-18

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो मजबूती तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी मजबूती में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य भिकिरसाधिकारी/मुख्य भिकिरसा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघाम सेवानी आभित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (घ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (ङ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 379 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किरण कुमारी	दर्शन सिंह	12/1/1993	ग्राम-पिण्डारी, पो-विज्डी पटिया, सितारगंज ऊधम सिंह नगर-262405	ST-3	GEN HIN15	रा0प्रा0वि0 शक्तिफार्म न06, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7019-29 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 380

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केशव दत्त	कृष्ण दत्त	5/5/1983	ग्राम-बनन्यूडा (डियूरी), पो0-डियूरी, चम्पावत।	EWS-5	EWS OTART70	रा0प्रा0वि0 नोटा, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/7030-40

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी उत्तरप्रदेश जमिंदारों को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अगुवों की शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलाप उनके मूल अभिलेखों से करने हुए सम्बन्धित की वी पत्रावली तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र स्थापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अगुवों से संग्रहीत एवं सगस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अगुवों को इस आशय से प्रेषित की परामर्शित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतियों में निम्न अभिलेखों की साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति को उत्तरांचल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (i) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
 (ii) अगुवों की राज्यपत्रित अधिकारियों से परित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (iii) कनिष्ठ शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी अभिलेख/मूलपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (iv) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (v) भारतीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ भारतीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित धरिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण
 जमिंदार नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 200335/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्थान 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	नैन सिंह शिष्ट	शेर सिंह शिष्ट	18-12-1975	ग्राम-डरौज, पो० देवीपुरा, थाना-पाटी, चम्पावत।	EWS-5	EWS OTART70	रा०प्रा०वि० गोट, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरिन्दर कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/7041-51 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

8. सम्बन्धित उप विभागाधिकारी जयप्रकाश सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित जम्बुनी के सैलिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की वो मजबूती तैयार करते तथा सैलिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। जम्बुनी से भंगाने पर सार्वत अभिलेख उनकी पञ्चावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित जम्बुनी को इस आशय से प्रेषित की परम्परागत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप विभागाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (1) मूल शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अर्थात् द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
 (2) जम्बुनी से राजपत्रित अधिकारियों से भरे प्रमाण पत्र जो 20 साल से पूर्व का न हो।
 (3) सार्वत सैलिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल विचार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभिलेख/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रती।
 (4) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (5) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न भराये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (6) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का सफ्त पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में कोजित रिट याचिका संख्या- 1401/एसओएसओ/2024, 1403/एसओएसओ/2024, 1404/एसओएसओ/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित प्रतिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०श०
 जय सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 382 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (साामान्य मर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिचीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुलेश कुमार	महेन्द्र सिंह	5/3/1994	ग्राम-मधाना, पो0-दाबकीकलां, लक्सर हरिद्वार-247663	OBC-4	OBC PM40	रा0प्रा0कि रम्पुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 7052-62 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से संग्राह्य गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (i) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ii) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (iii) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (iv) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (v) भवनीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ भवनीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जम्म सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्राकियाओं के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अग्रोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (साामान्य मती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एनम शिंददीकी	श्री0 सुहैल अहमद	10/7/1998	श्री0-गुजरातियान निकट- गींधी पार्क जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	OBC-4	OBC ZBC40	रा0प्रा0शि0 जगतपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7063-73 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप विभागाधिकारी जनपद/जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्पली को सैजिक व अन्य प्रमाण पत्रों का निस्तान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करवें तथा सैजिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/सत्या को प्रेषित करें। अम्पली से बंधाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्पली को इस आशय से प्रेषित की परदस्तावेज विभागाध्यक्ष में कार्रवार प्रक्रम करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप विभागाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/दो प्रति में निम्न अभिलेखों को साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विभागाध्यक्ष में कार्रवार प्रक्रम करें।
- (अ) मुख्य विकिरण/सुरक्षा अधिकारी/मुख्य विकिरण अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
- (ब) अम्पली को राजपत्रित अधिकारियों से परित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) निम्नलिखित सैजिक, प्रतिक्रम एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/पुनर्निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संधान योजना अधिनियम/भुगतान सैजिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित मसुदा/प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोग न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में घोषित रिट याचिका संख्या- 1481/एचओएस/2024, 1483/एचओएस/2024, 1484/एचओएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित रखिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 384 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य नर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो0 सहिद	मो0 जाकिर	2/7/1993	मसुरी ऑटो टावर, पीलीभीत रोड, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC- 4	OBC OTART70	रा0प्रा0कि0 सितारगंज प्रथम, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7074-84 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघाम सेनागी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 385 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	श्रीमती ममता मेहरा	कृष्ण सिंह अधिकारी	2/9/1986	ग्राम व पोस्ट- बाचकोट, जिला चम्पावत।	GEN-1	GEN HIN15	रा0प्रा0कि शिवनगर, रुदपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7085-95 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आवेद सं०- 396 / प्र०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आवेदः

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 20.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-08/2018 दिनांक 14 सितम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैश्विक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 208335/XXIV-A-1/2024-49378/2023 दिनांक 06.08.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49378/2023 दिनांक 20.08.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्र०शि०-दो(2)/706-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अविहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 13.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 260 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित की गई थी। अर्थात् प्राविधानों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय सचन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ B में अंकित रा०प्र०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष की परिवर्द्धताकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चाधार का पता	श्रेणी	समयित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेश्वर प्रसाद	सुरेश कुमार	2/7/1991	मयूर विहार, पीलाकोठी बड़ी मुल्खानी, हल्द्वानी-263139	SC-2	SC OTART70	रा०प्र०शि० कालीनगर, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्र०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०ड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं/ 7096-7106 प्र०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्र०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 387 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अर्जोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित 10 प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती कल्पना	सुरील कुमार	20.05.1996	मो०सुभाषनगर, गली न०6, मकान न० 491, निकट ताराचन्द हलवाई, काठौपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	SC-2	SC ZBC40	छा०प्रा०कि०उर्दू मी० सुल्तानपुर-3, बाजपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योडता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7107-17 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्यर्थी को शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करके हुए सम्बन्धित की नों पत्रवाली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सात्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अग्यर्थी से भंगाने गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अग्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परदस्तावेज विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (i) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ii) अग्यर्थी को राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (iii) निम्नलिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की टिप्पण सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (iv) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (v) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (vi) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, ज०सि०
उज्जैन सिंह नगर

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती मनीषा राना	चंचल सिंह	7/6/1996	ग्राम-नगला, पो०-टुकड़ी, थाना-नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर-262311	ST-3	ST ZBC40	रा०प्रा०विद्यालय सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 7151-61 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगपदराम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्यन्धी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की वी पत्रावली तैयार करती तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अग्यन्धी से मगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अग्यन्धी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकलरखण्ड को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति की प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुपस्थिति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ख) मूल शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षक अधीनक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ग) अग्यन्धी को सौंपित अभिकारिओं से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (घ) अग्यन्धी के शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, विध्यापता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
- (ङ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (च) माननीय न्यायालय द्वारा पण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अहिंसात्मक न मलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (छ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/सासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत शपथ पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तरखण्ड में योजित रिट मासिका संख्या- 1461/एसओएसओ/2024, 1463/एसओएसओ/2024, 1464/एसओएसओ/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो.सि।
राम सिंह नगर

आदेश सं- 392 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलमा	रियाजुद्दीन अंसारी	9/2/1999	मदर कालोनी, खुशबू कालोनी, महेशपुरा थाना-कशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	OBC-4	OBC ZBC40	रा0प्रा0वि सरदारनगर, मदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0 / 7162-72 प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक- उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जाम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्र सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 393 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लता आर्या	भारत प्रकाश	20-06-1999	ग्राम-पावूडा, पो०ओ०-उपराड़ी, रानीखेत अल्मोड़ा-263645	SC-2	SC ZBC40	रा०प्रा०वि० बर, रुदपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7173- 83 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उम्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उम्रम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्लॉक 8 में अंकित शा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिधीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	भयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोहित राणा	ओ0पी0 राणा	4/3/1989	ग्राम-मुठिया धाक, पो0-भूडा केशनी, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	ST-3	ST OTSC120	शा0प्रा0वि0 सुन्दरनगर, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0 / 7184-94

प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (ए) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रशिक्षि-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अप्पेहरादासी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (शांताय भती के 208 एवं वैकलीय के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विद्यार्थियों के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे; निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विद्यार्थियों के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुसूचीनापसन्त उनके नाम के सम्मुख स्थान 8 में अंकित स्कूलविद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	नियुक्ति श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशीष शैली	विजय शाल शैली	5/3/1983	घाग व पोस्ट- धनपुर, बागा-पथरी, हरिद्वार	OBC-4	GEN PM40	शुभप्रशिक्षि धनपुर मौड़ी, सितारगंज।

शासनादेश सं 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रशिक्षि-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी; नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा; यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है; नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डीएड) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रारम्भिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में चिन्तता पाये जाने पर, कहीं पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तात्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जेदता बाद में निर्धारित की जावेगी।

(हरे-क. सुगर मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षि
ऊधम सिंह नगर

पुंज सं/ 7206-16

प्रशिक्षि/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन.सी.टी.ई. उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. शिवालय अधिकारी, प्रशिक्षि ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 397 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती रितिका धर्मशक्नु	पवन कुमार	17-12-1994	टाईप-2, क्वार्टर-9, हिमवीर इण्डोय, गेट नं० 3, आई०टी०बी०पी० कॉलेज स्टेशन, इन्दिरा नगर, देहरादून-248146	SC-2	SC OTART70	रा०प्रा०वि० नदरपुर प्रथम, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योहरता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7217-27 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 378 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 89 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भाषा के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शोभित सिंह	सुरेन्द्र सिंह	1/7/1993	सुभाष नगर, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	EWS-5	EWS PM40	रा०प्रा०शि० नई आबादी हरसान, बाजपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 7228-38 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 400 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024


नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में ज्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 सेवत-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कु० शिकी	पुल्लू लाल	29-04-1993	ग्राम-हल्लुवा, पो०-कुंवरपुर सितैया थाना-सितारगंज, ऊधम सिंह नगर	SC-2	SC ENG15	रा०प्रा०शि० धुसरी, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बिन्नाता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योहता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 7250-60 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 401 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रातिघानो के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धीमती दीपा राना	अरूण सिंह राना	11.10.1993	पौड न01, रामनगर कॉलोनी, पौड व थाना-इण्डतनगर, बरेली-243122	ST-3	ST ENG15	रा0प्रा0वि0 मर्दईपुरा, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देव नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7261-71 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्सवत
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०
उन्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 402 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक सिंह नगरकोटि	गणेश सिंह नगरकोटि	15-05-1979	मकान न0-1880, ब्रा कालोनी, पतनगर ऊधम सिंह नगर-263145	GEN-1	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 जवाहरनगर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7272-82 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य शिक्षिकाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल नियास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 404 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.06.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के स्तम्भ निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चायत का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	मनोज सिंह राना	राजेन्द्र सिंह राना	19-05-1995	ग्राम-मलपुरा, पो-सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262405	ST-3	ST PM40	रा0प्रा0शि0 कठंगरी, सितारगंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7294-7304 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विल अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) सम्मस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊजम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 405 / प्रशिक्ष/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 196/XXIV(1)/2012/18/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रक्रियाओं के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रशिक्ष-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोदस्तावेजी कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊजम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य शर्तों के 286 एवं बैकलॉगिंग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अर्भांत किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सपेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्थान 8 में अंतिम राउण्ड विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्तितकाल पर औपचारिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमक	अभ्यर्थी का नाम	शिक्षा/पंथि का नाम	जन्म तिथि	पेशावर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	गणेश दत्त पलडिया	गोपाल दत्त पलडिया	1/5/1983	ग्राम-गलानी, पी०-खनरदू, ओखलकाण्ड, मुक्तेश्वर।	EWS-5	EWS OTART70	राउण्डविद्यालय सावेर, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रशिक्ष-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्भांत एक माह का वेतन देकर सम्पन्न की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में किन्नासा पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य सिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जेधता बाद में निर्धारित की जावेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्ष
ऊजम सिंह नगर

पुस्तक/ 7305-15

प्रशिक्ष/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊजम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊजम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊजम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रशिक्ष ऊजम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा आरीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रामाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 406 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अग्रोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापश्चात् उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जसवन्ता सिंह	सुरेश पाल	15-12-1989	विनीत नगर मली न02, चनियाला रोड, रुड़की, हरिद्वार	SC-2	SC OTART70	रा0प्रा0विद्यालय, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में विद्यमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पुसं०/ 7316-26 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निर्देशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित फोफाधिकारी।
8. विल अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से खरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तरखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०-

407

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित सा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वित्त/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चन्द्रपाल सिंह	छयाली सिंह	15.03.1985	ग्राम-गूलरगोली, पो०-धरमपुर,तह० जसपुर, थाना-जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	SC-2	SC OTART70	सा०प्रा०वि० मसीत, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यव देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, कर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हर-प्र-कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7327-37

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये सगस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) सगस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicsunagar@yahoo.in

आदेश सं- 408 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आम्त्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुज कुमार	कर्म सिंह	04.07.1989	ग्राम व पोस्ट-मखदूमपुर, धाना-मंगलौर, हरिद्वार-247665	SC-2	SC OTART70	रा0प्रा0वि0 रामजीवनपुर, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विबर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्वेष्टता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

7338 - 48

प्रा0सं0/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

ऊधम सिंह

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्प्ली के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करावे तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्प्ली से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्प्ली को इस आशय से प्रेषित की परदस्तावेज विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
- (ब) अम्प्ली दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल शिक्षा प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, अर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसएएस/2024, 1483/एसएएस/2024, 1484/एसएएस/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजीक।

जिला शिक्षा अधिकारी, जम्म सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोविन्द सिंह बिष्ट	पूरन सिंह बिष्ट	10/11/1991	सरकार की आली लोअर माल रोड निकट, गाम-नर, अल्मोडा-263801	EWS-5	EWS PM40	रा0प्रा0वि0 रम्पुरा, रुड़पुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विद्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाट में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0स0/ 7349-59 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की परस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) अनामस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे— स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या— 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 410

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा०शि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती उपमा भारती	आशुतोष कुमार आजार	2/9/1992	80/90-709, चन्दकला डेप्टल क्लीनिक, निगर नमन टैण्ट हाउस, छडकपुर देवीपुर काशीपुर, 244713	SC-2	SC PM40	प्रा०शि० महेशपुर, बाजपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 7360-70 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्प्ली को सैक्रिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रसवली तैयार करलें तथा सैक्रिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्थान को प्रेषित करें। अम्प्ली से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रसवली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्प्ली को इस आशय से प्रेषित की पदस्थानित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अम्प्ली दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (ग) समस्त सैक्रिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल विवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वातंत्रता संघाम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाने जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में खोजित रिट याचिका संख्या- 1481/एसओएसओ/2024, 1483/एसओएसओ/2024, 1484/एसओएसओ/2024 एवं अन्य" के अनुमालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शिक्षा
 उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 411

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहरताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9871-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गजेन्द्र सिंह पवार	किशन सिंह पवार	11/4/1982	ग्राम-बोहोराकोट, पो०ओ०-ना०स्वा०अ० रामगढ़ तल्ला, नैनीताल-283158	EWS-5	EWS OTART70	रा०प्रा०शि० शिमला पिस्तौर, ऊधमपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पु०सं०/ 7371-81

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग)समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ)विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य' के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 28.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 6801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापत्रान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमंक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विनय कुमार	अशोक कुमार	9/7/1997	ग्राम- सिसैया, ग्राम-खालीमहुवट, धाना-इनकईया, छटीगा, ऊधम सिंह नगर-262306	SC-2	SC OTART70	रा0प्रा0वि0 भूरासनी, रूद्रपुर।

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरिन्दर कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7382-92 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद अग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से संग्राये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 (क) सभ्यत शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- रक्षाई/मूल विवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
 (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
 अग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आवेदन सं०- 413 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में ज्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापि के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापि के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरन्तु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सदीप कुमार सागर	राजेश्वर प्रसाद सागर	5/7/1990	ग्राम ब पोस्ट-नौगांवा डण्णू, नमता कालोनी नियर मुठेसी चौराहा, खटीमा।	SC-2	SC OTART70	रा0प्रा0वि0 समजीवनपुर न03, नदरपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु०सं०/ 7393-7403 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनकी मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) सम्मस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का राफथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0वि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 414

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में ज्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चाधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	जितेन्द्र कुमार शर्मा	खीमानन्द शर्मा	16-07-1994	ग्राम/पो0/धाना-जैती, अल्मोड़ा-263626	EWS-5	EWS OTSCI20	रा0प्रा0शि0 कुलवन्तनगर न02, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7404-14

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) सैन्य शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/भूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 69 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 206 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र अर्पित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8001 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्तनाकाल पर औपबन्धिक विद्यालय अस्थायी रूप से रिक्त पद को प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चायत का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	श्रीमती प्रियंका वर्मा	हिमाशु शाह	28-2-1995	जौहरी बाजार, भागा-अल्मोड़ा।	GEN-1	GEN OTART70	रा०प्रा०शि० आवास विकास कदपुर, कदपुर।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति निदान अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अवर्तित एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा : से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य उभारे जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(ह.स. कुमार निश्चय)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पु०सं०/ 7415-25

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को शूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य विकिरसाधिकारी/मुख्य शिक्षिका अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 416 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3716-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिंकु सिंह	नन्हें सिंह	02.04.1998	ग्राम-गुलरगोजी, पो०-धरमपुर,तह० जसपुर, थाना-जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	SC-2	SC OTART70	रा०प्रा०वि० मडेबाहदूर, बाजपुर।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विबर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7426-36 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता सप्राप्त सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित भजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शिक्ष0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 417

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधीहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 सेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	विनोद चन्द जोशी	महेश चन्द जोशी	26.06.1994	शिवालय घाट, आधु नियर-मौडर्न प्राथमिक विद्यालय, कपकोट, बागेश्वर-263632	EWS-5	EWS ZBC40	रा0प्रा0वि0 विक्रमनगर, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

फुस0/ 7437-47

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमसं.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो प्रतियाँ तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी प्रतियाँ में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्सकाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (क) ऐतमस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
 - (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, जम्म सिंह नगर
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 418 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अपोहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं वैकलिंग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	सम्बन्धित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील कुमार	छत्तर सिंह	8/10/1989	ग्राम बरखेड़ा पाण्डेय, पो0-महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	SC-2	SC ZBC40	रा0प्रा0शि0 केलाखेड़ा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हस्ताक्षर) सुनील कुमार मिश्रा
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7448-58 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्0सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 419 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुधीर कुमार	मोती राम	3/1/1989	ग्राम-पिलवडी, पो0-ननोली,तह0 गन्गाई गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	SC-2	SC ZBC40	रा0प्रा0वि0 बन्नाखेड़ा, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

फू0सं0/ 7459-69

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) सम्मस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/भूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूलपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 420 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 198/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापत्रान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	अर्चना रानी	राजपाल सिंह	29-06-1998	श्यामपुरम कालोनी, बाजपुर रोड, काशीपुर थाना आईटीआई, ऊधम सिंह नगर।	SC-2	SC PM40	रा0प्रा0विद्यालय बराखंडा न01, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्योडता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7470-80 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तावत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आई0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नत सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नत सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 421 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिरूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयवीर सिंह	आसा राम	25-06-1960	ग्राम-शिवनगर, पो-इकिया न01, काहीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	SC-2	SC OTART70	रा0प्रा0कि महेशपुर, बाजपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7481-91 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सात्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अनिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 422 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अर्घोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आम्त्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती कीर्ति राना	अजय सिंह	12/3/1998	ग्राम-उमरू खुर्द, कांजाबाग, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	ST-3	ST HIN15	रा0प्रा0वि0 इस्लामनगर प्रथम, खटीमा।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नयनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं0/ 7492-7502 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र स्थापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नातक/मूल निदास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 423 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8001 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिल्पा राजपाल	जगदीश राजपाल	28-11-1997	घाई नं0 7, पंजाबी कालोनी, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर-263152	EWS-5	EWS OTSCI20	रा0प्रा0वि0 शिवपुर, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ट्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 7503-13 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तयत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षाधिकारी/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (इ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उन्नम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 424 / प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अक्षय कुमार	जवाहर प्रसाद	10/1/1982	ग्राम-सिसैया (मैलाघाट) पो-खारीमहुट, खटीगा, ऊधम सिंह नगर।	SC-2	SC OTART70	रा०प्रा०शि० सितारगंज द्वितीय, सितारगंज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्वेदता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7514-24 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 426 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य नर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जनम तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती रूपम	जगदीश सिंह	4/1/1989	मोहल्ला गुजरातिया नगरी पार्क जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	SC-2	SC 28C40	रा0प्रा0वि0 चितरंजनपुर, बदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरिन्दर कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7536-46 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुगति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 428 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अचोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चावार का पृष्ठ	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	श्रीमती जगदम्बा देवी	प्रकाश चन्द	21-07-1987	निबर-रा0प्रा0कि गोरखपुर, भीमताल, नैनीताल-203136	EWS-5	EWS HIN15	रा0प्रा0कि गदरपुर द्वितीय, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू०सं0/ 7558-68 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः—

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 430 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुनाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदीश कुमार सागर	नारायण दास सागर	16-06-1990	सुभाष कालोनी, वार्ड न0 28 आनन्द विहार कालोनी, शनि मंदिर प्रीत विहार, रुद्रपुर	SC-2	SC HIN15	रा0प्रा0शि0 संजयनगर द्वितीय, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा (निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरिन्दर कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7580-90 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपदउमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य शिक्षिका/मुख्य शिक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से धरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- रथाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अगियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उमम सिंह नगर

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विशाल बाबू	श्री कृष्ण	28-08-1995	मन0-01, बहुपल गार्डन कालोनी, निकट अटरिक मंदिर एवं ई0एस0आर0टी0 अस्पताल रुद्रपुर, धाना-पतनगर, 263153	SC-2	SC ENG15	रा0प्रा0वि0 कीरतपुर, रुद्रपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेश कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7602-12 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) अभ्यर्थी शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 434 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुनाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती गोविन्दी भण्डारी	मोहन सिंह	13-05-1987	ग्राम-मोतिपुरा न01, पो0ओ0- दिनेशपुर, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर-203160	EWS-5	EWS ZBC40	रा0प्रा0विद्यालय मिदनापुर, गदरपुर।

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बिन्ना पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्षन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्वेष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं०/ 7624-34 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जम्म सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/गूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
जम्म सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 435 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्तीकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती मीरा	अमित कुमार सरकार	2/4/1992	ग्राम-कालीनगर, विजयनगर पो0ओ0-कालीनगर, तह0-रूद्रपुर, थाना-दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर-263160	EWS-5	EWS PM40	रा0प्रा0वि0 महतोष, गदरपुर।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 7635-45 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0ओआर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उज्जैन सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (क) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (ख) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ग) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उज्जैन सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 436

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विरेंद्र सिंह	सुन्दर सिंह	20-05-1989	ग्राम व पोस्ट-नैगवानाथ, तहसील-खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	EWS-5	EWS ZBC40	रा०प्रा०वि० उकरौली, सितारबज।

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग ध्वय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विषर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 7646-56

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्कोसी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उमम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साध देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
 - (अ) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ब) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
 - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
 - (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
 - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उमम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 437 / प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक-03 सितम्बर, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के फन में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक: 9671-73 दिनांक 13.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर औपबन्धिक नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राहुल कुमार शर्मा	मुन्नालाल शर्मा	17/1997	शारदा पावर हाउस, लोहियाहैड, धाना-झनकईया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	EWS-5	EWS PM40	रा0प्रा0शि0 गौरीखेड़ा, सितारखंज।

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर, फर्जी पाये जाने पर अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।



(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 7657-67 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उग्रम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल नियास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
- (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उग्रम सिंह नगर